निग. 842-I/15 स्थगन 8

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
24.4.15	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि. उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 19–3–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में केवल आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है और अपील निराकरण हेतु उनके समक्ष लंबित है, ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रकरण में नहीं है । जहां तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न है विचारोपरांत न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाने अथवा तीन माह जो भी पहले हो तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.1.15 का क्रियान्वयन स्थगित रखा जाये । अपर आयुक्त उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण 3 माह की अवधि में आवश्यक रूप से करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

निगरानी 842-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. अशोक रानी पत्नि रामप्रसाद
2. रामप्रसाद तनय चतुर्भुज पटैल

दोनों निवासी सीतानगर तह. पथरिया जि. दमोह ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

1. काशीराम तनय चतुर्भुज
   साकिन चंपत पिपरिया तह. पथरिया जि. दमोह
2. भगवानदास तनय चर्तुभुज पटैल
3. राजकुमार पटैल तनय चतुर्भुज पटैल
   दोनों निवासी सीतानगर तह. पथरिया जि. दमोह
4. बतीबाई जोजे गिरधारी पटैल
   सा. महंतपुरा लक्ष्मणकुटी तह.व जिला दमोह म.प्र.
5. नन्नीबाई जोजे जगदीश पटैल
   सा. हिनौता पिपरिया तह. हटा जिला दमोह ....अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 22.4.15 को प्रस्तुत
22-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर म.प्र. के प्रकरण क्रमाँक अपील 314/अ–6 वर्ष 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19–03–2015 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः–